संख्याः 360269 / XVII(4)/2023-3(20)/2022 (e-31475)

प्रेषक,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1, देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषयः– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 538/2023 राजीव कलिटा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ट्रांसजेण्डर एवं दिव्यांगजनों को भी सेनेटरी पैड की सुविधा भुगतान के आधार पर अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1151/381–UWCDS/2025–26 दिनांक 06.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 538/2023 राजीव कलिटा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में महिलाओं, ट्रांसजेण्डर एवं दिव्यांगजनों को सेनेटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– उक्त के संबंध में शासनादेश संख्या 941/XVII(4)/2020–5(102)2016 दिनांक 20.08.2020 एवं 119683/XVII(4)/2023–5(102)2016 दिनांक 04.05.2023 के द्वारा सेनेटरी नैपकीन योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेनेटरी पैड की सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 538/2023 राजीव कलिटा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भुगतान के आधार पर किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ ही ट्रांसजेण्डर एवं दिव्यांगजनों को भी भुगतान के आधार पर सेनेटरी

पैड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– इस शासनादेश को शासनादेश संख्या 941/XVII(4)/2020–5(102)2016 दिनांक 20.08.2020 एवं 119683/XVII(4)/2023–5(102)2016 दिनांक 04.05.2023 के सपठित समझा जायेगा। अन्य शर्ते/प्रतिबंध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRESH KUMAR YADAV
Date: 09-01-2026 16:14:28

(चन्द्रेश कुमार)
सचिव।

संख्या– 360269 /XVII(4)/2023-3(20)/2022 (31475)तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री, महिला सशक्तिकरा एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के को संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त नियंत्रक, महिला सशक्तिकरा एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. राज्य परियोजना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vandana Dangwal
Date: 09-01-2026
17:39:38

(वन्दना डंगवाल)
अनु सचिव।